

न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्ता, खूँटी

अनुमति वाद संख्या :- 484 / 19-20



(छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा - 46)

लोगो मुण्डा

- विक्रेता

बिरसा मुण्डा

- क्रेता

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित										
27.07.20	<p style="text-align: center;">आदेश</p> <p>आवेदक लोगो मुण्डा पिता स्व0 सोमा मुण्डा ग्राम-काटमकुकू, महुआटोली, पो0-लोधमा, थाना कर्रा, जिला खूँटी ने बिरसा मुण्डा पिता सोमरा मुण्डा ग्राम-सहिलोंग, पो0-बिरदा, थाना कर्रा, जिला खूँटी के साथ निम्नलिखित भूमि के विक्रय हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अन्तर्गत अनुमति हेतु आवेदन पत्र दिया है।</p> <table border="1" data-bbox="252 698 1374 801"> <thead> <tr> <th>ग्राम</th> <th>थाना नं0</th> <th>खाता नं0</th> <th>खेसरा सं0</th> <th>रकवा (एकड़ में)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>काटमकुकू</td> <td>158</td> <td>19</td> <td>127</td> <td>0.10</td> </tr> </tbody> </table> <p>उभय पक्ष अपने विद्वान अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए खतियान/आवासीय प्रमाणपत्र/जाति प्रमाणपत्र एवं लगान की रसीद सं0 0908335310 की छायाप्रति प्रस्तुत की गई। नोटिस का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। अंचल अधिकारी, कर्रा के पत्रांक 585 दिनांक 16.07.20 से जांच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। जांच प्रतिवेदन के अनुसार प्रश्नगत भूमि खतियानी है। खतियानी रैयत का नाम बुधुवा पाहन वगैरह हैं। पंजी II के अनुसार माको वगै0 के नाम भूमि का रकवा 51.77 एकड़ है। आवेदक के पास कुल रकवा 2.87 एकड़ भूमि है। मालगुजारी का भुगतान वित्तीय वर्ष 2018-19 तक किया गया है। भूमि का न्यूनतम प्रस्तावित दर 20608.00(बीस हजार छः सौ आठ)रु0 प्रति डिसमिल है। इस भूमि के विक्रय में आवेदक के हिस्सेदारों की कोई आपत्ति नहीं है। भूमि विक्रय के बाद आवेदक के पास भूमि अवशेष 2.77 एकड़ रह जाती है। इस प्रकार आवेदक भूमिहीन नहीं होते हैं।</p> <p>आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि क्रेता एवं विक्रेता एक ही थाना कर्रा के निवासी हैं एवं एक ही जाति (अनुसूचित जनजाति समुदाय) के सदस्य हैं। आवेदक अपने हिस्से की भूमि जो इनके दखल कब्जे की है। जिसे मकान बनाने हेतु विक्री करना चाहते हैं। प्रश्नगत भूमि गैर मजरुआ आम, खास, मन्दिर, मरिजद, भूईहरी, पहनाई, कैसरेहिन्द, भूहदबन्दी एवं खुटकटी के दायरे में नहीं है। अंचल अधिकारी, कर्रा ने क्रेता-विक्रेता को भूमि क्रय-विक्रय करने हेतु अनुशंसा किये हैं।</p> <p>आवेदक के विद्वान अधिवक्ता को सुनने प्रस्तुत कागजात एवं अंचल अधिकारी, कर्रा से प्राप्त प्रतिवेदन के अवलोकन एवं किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण लोगो मुण्डा पिता स्व0 सोमा मुण्डा को बिरसा मुण्डा पिता सोमरा मुण्डा के साथ ग्राम काटमकुकू के खाता सं0 19 खेसरा संख्या 127 का कुल रकवा 0.10 एकड़ भूमि न्यूनतम प्रस्तावित दर 20608.00(बीस हजार छः सौ आठ)रुपये प्रति डिसमिल या जिला अवर निबंधक, खूँटी के द्वारा निर्धारित दर पर अंचल अधिकारी, कर्रा के अनुशंसा के आधार पर भूमि विक्रय की अनुमति दी जाती है। अभिलेख अभिलेखागार, खूँटी में जमा करें।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित</p> <p style="text-align: center;"> भूमि सुधार उप समाहर्ता, खूँटी।</p> <p style="text-align: center;"> भूमि सुधार उप समाहर्ता, खूँटी।</p>	ग्राम	थाना नं0	खाता नं0	खेसरा सं0	रकवा (एकड़ में)	काटमकुकू	158	19	127	0.10	
ग्राम	थाना नं0	खाता नं0	खेसरा सं0	रकवा (एकड़ में)								
काटमकुकू	158	19	127	0.10								